

11 मई, 2021

कार्यकारी आदेश 2021-13

कार्यकारी आदेश 2021-13
(COVID-19 कार्यकारी आदेश सं. 82)

जबकि, मार्च 2020 की शुरुआत से ही, इलिनॉय ने एक ऐसी वैश्विक-महामारी का सामना किया है जो असाधारण रूप से बीमारी एवं जनहानि का कारण बनी है, तथा 1.38 मिलियन से भी अधिक लोगों को संक्रमित कर चुकी है और इसने 23,000 से अधिक निवासियों की जान ले ली है; और,

जबकि, इलिनॉय निवासियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का संरक्षण करना हमेशा, विशेष रूप से किसी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान, इलिनॉय राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक होता है; और

जबकि, सामाजिक दूरी, फेस कवर, और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सावधानियां COVID-19 के प्रसार को धीमा करने एवं रोकने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं; और,

जबकि, COVID-19 टीके COVID-19 रोग, विशेष रूप से गंभीर बीमारी और मृत्यु को रोकने में प्रभावी हैं; तथा,

चूँकि, आवासीय और गैर-आवासीय निष्कासन कार्यवाहियाँ इलिनॉय कोड आफ़ सिविल प्रोसीजर 735 ILCS 5/9- 101 et seq. की धारा IX (Article IX of the Illinois Code of Civil Procedure, 735 ILCS 5/9-101 et seq.) के अंतर्गत शासित हैं; और,

चूँकि, 20 मार्च, 2020 को मैंने कार्यकारी आदेश 2020-10 जारी किया जिसमें मैंने वर्तमान में इलिनॉय राज्य में रह रहे सभी लोगों को, कार्यकारी आदेश में दी गई अनुमति के अलावा, घर पर या उनके निवास स्थान पर ही रहने का आदेश दिया था; और,

चूँकि, यद्यपि कार्यकारी आदेश 2020-30 क्रानून प्रवर्तन को आवासीय संपत्तियों में से निष्कासन के आदेशों को लागू करने से प्रतिबंधित करता है, अविरत सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान आवासीय निष्कासन की कार्यवाहियों की रोकथाम के लिए अतिरिक्त कदम उठाने की आवश्यकता है; और,

कार्यकारी आदेश 2020-30 (आवासीय निष्कासन की कार्रवाइयों की फाइलिंग; आवासीय निष्कासन आदेशों का प्रवर्तन; कालातीत (एक्सपायर) हो चुके दूतावासीय (कौसुलर) पहचान दस्तावेज़; इलिनॉय मानवाधिकार आयोग (ह्यूमन राइट्स कमीशन) के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग):

जबकि, कोविड-19 महामारी के दौरान ही, मेरे प्रशासन ने एक व्यापक किराएदारी सहायता कार्यक्रम प्रारंभ किया जिसके द्वारा संपूर्ण राज्य में 56,000 से अधिक किराएदारों और मकान-मालिकों को आवास भुगतान अनुदान के रूप में \$329 मिलियन से अधिक वितरित किया गया; और,

जबकि, मई 17, 2021 को, इलिनॉय रेंटल पेमेंट प्रोग्राम (ILRPP) के माध्यम से प्रशासित रेंटल असिस्टेंस फंडिंग के दूसरे दौर के लिए आवेदन उपलब्ध हो गए; और,

जबकि, निष्कासन को रोकने के प्रयास में ILRPP इलिनॉय के किराएदारों और मकान-मालिकों को कई चक्रों में कुल \$1.1 बिलियन डॉलर का वित्त पोषण करेगा; और,

जबकि, पात्र निवासी 12 महीने के छूटे हुए किराए के भुगतान के लिए \$25,000 डॉलर तक और भावी किराए के लिए तीन महीने तक का किराया सहायता अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, जिसका भुगतान सीधे उनके आवास-प्रदाता को किया जाएगा; और,

जबकि, हाल के सप्ताहों में नए COVID-19 मामलों की संख्या में कमी आई है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य मेट्रिक्स अब राज्य को कुछ शमन उपायों में ढील देने की अनुमति देते हैं क्योंकि अधिक निवासियों को टीका लगाया गया है; और,

इसलिए, इलिनॉय राज्य के गवर्नर के रूप में मुझ में निहित शक्तियों, इलिनॉय के संविधान और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, (Illinois Emergency Management Agency Act) 20 ILCS 3305 की धारा 7(1), 7(2), 7(3), 7(8), 7(9), और 7(12) के अनुसार और लोक स्वास्थ्य कानूनों की शक्तियों के अनुरूप, मैं तुरंत प्रभावी निम्नलिखित आदेश दे रहा हूँ:

अनुभाग 1. इस कार्यकारी आदेश के प्रयोजनों से, निम्नलिखित शब्दों को नीचे वर्णित के अनुसार परिभाषित किया गया है:

- a. "कवर व्यक्ति" एक किरायेदार, पट्टेदार, उप-पट्टेदार, या एक आवासीय संपत्ति का निवासी है जो अपने मकान मालिक, संपत्ति के मालिक, या अन्य व्यक्ति या इकाई को कानूनी अधिकार प्रदान करता है कि उनके खिलाफ एक निष्कासन कार्रवाई को आगे बढ़ाने का अधिकार है:
 1. व्यक्ति या तो (i) कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए वार्षिक आय के तहत \$99,000 से अधिक कमाने की उम्मीद नहीं करता (या संयुक्त कर रिटर्न दाखिल करने पर \$198,000 से अधिक नहीं), (ii) 'अमेरिकन अंतरिक राजस्व सेवा' को 2019 में किसी भी आय की रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं थी, या (iii) CARES अधिनियम यानी उत्तेजना जांच (i.e. stimulus check) की धारा 2001 के अनुसार एक आर्थिक प्रभाव भुगतान प्राप्त हुआ;
 2. व्यक्ति COVID-19 से संबंधित कठिनाई के कारण पूर्ण किराया या आवास भुगतान करने में असमर्थ है, लेकिन यह, आय के पर्याप्त नुकसान, काम या मजदूरी के प्रतिपूरक घंटों की हानि, या सीधे COVID-19 महामारी से संबंधित जेब-से-बाहर के खर्चों में वृद्धि तक सीमित नहीं है;
 3. व्यक्ति समय पर आंशिक भुगतान करने के लिए सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग कर रहा है जो पूर्ण भुगतान के करीब हैं क्योंकि व्यक्ति की परिस्थितियां अन्य गैर-विवेकाधीन खर्चों को ध्यान में रखते हुए अनुमति दे सकती हैं; तथा
 4. निष्कासन की संभावना व्यक्ति को बेघर कर देगी—या व्यक्ति को एक नई मंडली या साझा रहने की सेटिंग में निकट निवास स्थान में स्थानांतरित होने और रहने के लिए मजबूर करेगी—क्योंकि व्यक्ति के पास कोई अन्य उपलब्ध आवास विकल्प नहीं है।
- b. "घोषणा" ("Declaration") का अर्थ इलिनॉय हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी (या इलिनॉय गवाही के दंड के तहत एक इसी प्रकार की घोषणा) द्वारा उपलब्ध कराई गई फॉर्म घोषणा है कि वे किरायेदार, पट्टेदार, उप-पट्टेदार, या आवासीय संपत्तियों के निवासी जो इस सरकारी आदेश के अंतर्गत आते हैं, इस सरकारी आदेश द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा के आवाहन के लिए इस घोषणा का उपयोग कर सकते हैं। "कवर व्यक्ति" एक किरायेदार, पट्टेदार, उप-पट्टेदार, या एक आवासीय संपत्ति का निवासी है जो अपने मकान मालिक, संपत्ति के मालिक, या अन्य व्यक्ति या इकाई को कानूनी अधिकार प्रदान करता है कि उनके खिलाफ एक निष्कासन कार्रवाई को आगे बढ़ाने का अधिकार है: घोषणा प्रदान करने की कार्यवाही 735 ILCS 5/9-211 की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए।
- c. "कवर व्यक्ति" एक किरायेदार, पट्टेदार, उप-पट्टेदार, या एक आवासीय संपत्ति का निवासी है जो अपने मकान मालिक, संपत्ति के मालिक, या अन्य व्यक्ति या इकाई को कानूनी अधिकार प्रदान करता है कि उनके खिलाफ एक निष्कासन कार्रवाई को आगे बढ़ाने का अधिकार है:

d. भोजन, उपयोगितायें, फोन और इंटरनेट का उपयोग, स्कूल की आपूर्ति, सर्द मौसम के कपड़े, दंत चिकित्सा, चिकित्सा और दृष्टि खर्च, चाइल्डकैअर और परिवहन लागत, कार भुगतान, रखरखाव और बीमा यह गैर-विवेकाधीन खर्चों में शामिल हैं, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं हैं।

अनुभाग 2. कोई व्यक्ति या संस्था 735 ILCS 5/9-101 et seq. (735 ILCS 5/9-101 et seq.) के अनुसरण में या उससे उत्पन्न होनेवाली आवासीय निष्कासन की कार्यवाही तब तक शुरू नहीं कर सकते जब तक कि एक किराएदार से अन्य किराएदारों के स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रत्यक्ष खतरा नहीं होता है, संपत्ति को एक अव्यवहित या गंभीर खतरा नहीं होता हो, या किसी अनुप्रयोज्य निर्माण अधिनियम, स्वास्थ्य अध्यादेश, या इसी प्रकार के विनियम का उल्लंघन ना हुआ हो।

अनुभाग 3. कोई व्यक्ति या संस्था 735 ILCS 5/9-101 et seq. (735 ILCS 5/9-101 et seq.) के अनुसरण में या उससे उत्पन्न होनेवाली आवासीय निष्कासन की कार्यवाही तब तक शुरू नहीं कर सकते जब तक कि एक किराएदार से अन्य किराएदारों के स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रत्यक्ष खतरा नहीं होता है, संपत्ति को एक अव्यवहित या गंभीर खतरा नहीं होता हो, या किसी अनुप्रयोज्य निर्माण अधिनियम, स्वास्थ्य अध्यादेश, या इसी प्रकार के विनियम का उल्लंघन ना हुआ हो। यह प्रावधान जून 25, 2021 तक प्रभावी है, जिसके बाद इस धारा को रद्द कर दिया जाएगा।

अनुभाग 4. इलिनॉय राज्य के सभी राजकीय, काउँटी, और स्थानीय क्रानून प्रवर्तन अधिकारियों को गैर-आवासीय परिसर में से निष्कासन के आदेशों के प्रवर्तन को रोकने का निर्देश दिया जाता है, जब तक कि किराएदार से अन्य किराएदारों के स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रत्यक्ष खतरा नहीं हो, जब तक कि संपत्ति को तत्काल कोई गंभीर खतरा नहीं हो, या किसी उपयुक्त निर्माण कोड, स्वास्थ्य अध्यादेश, या इसी प्रकार के विनियम का उल्लंघन ना हुआ हो। यह धारा मार्च 20, 2020 से पहले दर्ज किए गए आदेशों और जून 25, 2021 से शुरू होने वाले कवर नहीं किए गए व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किए गए आदेशों पर लागू नहीं होगी। निष्कासन के आदेशों का प्रवर्तन 735 ILCS 5/9-117 की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए।

अनुभाग 5. इस कार्यकारी आदेश में निहित कोई भी प्रावधान किसी भी व्यक्ति को किराए का भुगतान करने या किसी व्यक्ति के ठेके या किराया समझौते के अनुसरण में किसी अन्य दायित्व, के अनुपालन करने से छूट के रूप में नहीं समझा जाएगा।

अनुभाग 6. इलिनॉय नागरिक कार्यविधि संहिता (कोड ऑफ़ सिविल प्रोसीजर) के प्रावधानों के अनुभाग 5/12-705, 5/12-805, और 5/2-1402, 735 ILCS 5/12-705, 735 ILCS 5/12-805, और 735 ILCS 5/2-1402, जो उपभोक्ता देनदार या उपभोक्ता अनुक्रमी (गारनिशी) पर ऋणानुबंध आह्वान (गारनिशमेंट सम्मन), वेतन कटौती आह्वान (वेज डिडक्शन सम्मन), या परिसंपत्तियों की खोजबीन का आधिकारिक बुलावा (साइटेशन) तामील करने की अनुमति देते हैं, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की अवधि के दौरान स्थगित किए जाते हैं।

अनुभाग 7. यह कार्यकारी आदेश, कार्यकारी आदेश 2020-72 का स्थान लेता है।

अनुभाग 8. यदि इस कार्यकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस कार्यकारी आदेश को लागू करने को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या आवेदन के प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को गंभीर घोषित किया गया है। यह कार्यकारी आदेश इस समझ के साथ दर्ज किया गया है कि न्यायिक शाखा के पास न्यायिक कार्यवाही में आदेश के अनुप्रयोग को नियंत्रित करने वाले उचित प्रक्रियात्मक उपायों को अपनाने का अधिकार है।

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker),

राज्यपाल

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा 11 जून, 2021 को जारी

राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा 11 जून, 2021 को दायर